यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 268/2022 दायर दिनाँक 01.07.2022

वादी

1. दोलाराम पुत्र बोदुराम, जाति मेघवाल, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार, डीडवाना
2. सुरजाराम पुत्र नाथुराम, जाति नायक निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा (0.8500 हैक्टर) वाके सुद्रासन, तहसील डीडवाना स्थित है। जो पूर्व में प्रतिवादी के पिता लादु व अन्य के नाम रही तथा लादु की मृत्यु के बाद उसकी जगह उसके पुत्र प्रतिवादी सुरजाराम की खातेदारी दर्ज हो गयी, तथा खसरा संख्या 540 के नये खसरा संख्या 1244/1083 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 1245/1083 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 1246/1083 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 1257/1083 रकबा 0.1600 गैर मुमकिन आबादी, खसरा संख्या 1083 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल 0.85 हैक्टर अर्थात 5.05 बीघा हो गये, जमाबन्दी की नकलें वाद के साथ पेश है, तथा प्रतिवादी नम्बर 02 के पिता लादुराम पुत्र भैरूराम, जाति नायक, निवासी सुद्रासन, ने खेत खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा (0.85 हैक्टर) में से 4 बिस्वा भूमि अर्थात 0.0300 हैक्टर भूमि वादी दोलाराम को बेचाण कर दी, तथा बेचाणनामा बाबत लिखत वादी के पक्ष में दिनॉक 01.01.1988 को करके अपने निशान अंगुठा रूबरू मौतबिरान कर दिया, तथा मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से कब्जा वादी को संभला दिया, तब से लेकर आज तक वादी ही काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी नम्बर 02 के पिता से 12000/रूपये में खरीद की थी, प्रतिवादी नम्बर 02 के पिता लादुराम व लादुराम के भाई मोडु व काना सभी की मृत्यु काफी वर्षो पूर्व ही हो चुकी है। बेचाण नामा लिखत की नकल वाद के साथ पेश है। वादी द्वारा क्रय सुदा व कब्जा सुदा भूमि के नये खसरा संख्या 1244/1083 रकबा 0.0300 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गये, तथा इसी भूमि बाबत प्रतिवादी सुरजाराम के पिता ने वादी दोलाराम के पक्ष में बेचाणनामा की लिखत करके मौके पर कब्जा संभलाया था, जिस पर वादी आज तक अबाध रूप से काबिज है, वादी ने उक्त क्रय सुदा व कब्जा सुद भूमि में कुछ निर्माण भी कर लिया, लेकिन वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होने से सरकारी सहायता लेने से व अन्य कार्या में भारी असुविधा होने लग गयी है, वादी ने काफी वर्षो पूर्व ही प्रशासन गांवो के संग अभियान में उक्त बेचाणनामा की लिखत की नकल पटवारी हल्का को दी थी और उसमें जल्दी ही वादी के नाम से खातेदारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वादी की खातेदारी दर्ज नहीं हुयी है। वादी अनपढ़, भोला–भाला व बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा कानून के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, लेकिन अब वादी को अपने नाम का अंकन खातेदारी में नहीं होने की हाल ही में पुख्ता जानकारी हुयी है, वादी अपने द्वारा खरीद सुदा व कब्जा सुद जायदा की खातेदारी अपने नाम से करवाना चाहता है, जिसका कि वह कानूनन हकदार [illegible] वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

1. यह है कि वादी की खरीद सुदा व कब्जा सुदा खेत खसरा संख्या 540 वाके सुद्रासन में से 4 बीस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1244/1083 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस हेतु उन्हे पाबन्द किया जाना जरूरी है, वादी, प्रतिवादी नम्बर 02 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया हैं। वादी द्वारा क्रय सुदा भूमि प्रतिवादी नम्बर 02 के पिता से खरीदी हुयी है, तथा उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तथा लादुराम की जगह उसके पुत्र सुरजाराम (प्रतिवादी नम्बर 02) की खातेदारी दर्ज हो गयी हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुद्रासन के खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा (0.8500 हैक्टर) में से नये बने वर्तमान खसरा संख्या 1244/1083 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 02 सुरजाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादी की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 268/2022 दायर दिनाँक 01.07.2022

वादीया

1. दोलाराम पुत्र बोदुराम, जाति मेघवाल, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार, डीडवाना
2. सुरजाराम पुत्र नाथुराम, जाति नायक निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 07.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुद्रासन के खसरा संख्या 540 रकबा 5.05 बीघा (0.8500 हैक्टर) में से नये बने वर्तमान खसरा संख्या 1244/1083 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 02 सुरजाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादी की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner